

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क. – 1155 / 2004  
संस्थित दिनांक – 17.12.2002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र – बैहर  
जिला – बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1. वीरसिंह पिता प्रेमसिंह, उम्र 45 वर्ष,  
निवासी – हिरापुर, थाना – बैहर,  
जिला – बालाघाट (म.प्र.)
2. गजरसिंह पिता गुहदड़, उम्र 40 वर्ष,  
निवासी – ग्राम देवरबेली थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

**(आज दिनांक – 31 / 10 / 2014 को घोषित)**

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 381 / 34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक – 23.10.2012 को दिन के 7:00 बजे से लेकर 17 बजे के बीच, ग्राम हीरापुर थाना बैहर अंतर्गत में प्रार्थी योगेन्द्र पटले के सेवक (नौकर) की हैसियत से नियोजित होते हुए, चोरी का सामान्य आशय निर्मित करते हुये, उसके अग्रसरण में अपने मालिक योगेन्द्र के आधिपत्य से एक सोने की चैन, कान के झाले, एक कालीपोत, दो अंगुठी, चाबी केश चांदी की, चांदी की बिछिया व सोने की दो लौंग उसके घर से सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक – 23.10.2012 को दिन के 7:00 बजे से लेकर 17 बजे के बीच, ग्राम हीरामपुर थाना बैहर अंतर्गत आरोपीगण फरियादी योगेन्द्र पटले के घर में सफाई कार्य हेतु नियोजित किये गये थे। फरियादी द्वारा घर में चावल के बोरे के नीचे डिब्बे में सोने व चांदी के जेवर रखे थे, जो ढूंढने पर फरियादी को नहीं मिले। फरियादी द्वारा उक्त घटना की लिखित शिकायत पुलिस थाना बैहर में आरोपीगण पर शंका होने के कारण उनके विरुद्ध दर्ज करायी गई। पुलिस द्वारा फरियादी की उक्त लिखित शिकायत पर अपराध

क्रमांक-162/2002 अंतर्गत धारा-381/34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, आरोपी वीरसिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम के आधार पर संपत्ति जप्त की गई, जप्तशुदा सामान की पहचान कार्यवाही करवायी गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-381/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-23.10.2012 को दिन के 7:00 बजे से लेकर 17 बजे के बीच, ग्राम हीरापुर थाना बैहर अंतर्गत में प्रार्थी योगेन्द्र पटले के सेवक (नौकर) की हैसियत से नियोजित होते हुए, चोरी का सामान्य आशय निर्मित करते हुये, उसके अग्रसरण में अपने मालिक योगेन्द्र के आधिपत्य से एक सोने की चैन, कान के झाले, एक कालीपोत, दो अंगुठी, चाबी केश चांदी की, चांदी की बिछिया व सोने की दो लौंग उसके घर से सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की ?

### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष:-

5- फरियादी योगेन्द्र पटले (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना दिनांक-23.10.2002 को ग्राम हीरापुर स्थित अपने घर में उसने आरोपीगण को पुताई हेतु मजदूरी से लगाया था। उक्त दिनांक को आरोपीगण घर की पुताई कर के शाम 5:00 बजे चले गये थे। उसके घर में चावल की बोरी के नीचे रखा एक जेवरात का डिब्बा नहीं मिला। उक्त डिब्बे में एक सोने का मंगलसूत्र वजनी देढ़ तोला, एक जोड़ा कान झाले के वजनी 5 ग्राम, दो अंगुठी, दो जोड़ चांदी की बिछिया, नाक की लौंग, एक जोड़ी चांदी का खोचना रखे थे। उक्त सभी सामान की अनुमानित कुल कीमत 30,000/-रुपये होगी। उसने घटना की रात्रि को ही थाने में लिखित शिकायत प्रदर्श पी-1 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने बाद में आकर आरोपीगण को पकड़कर लायी थी, आरोपी वीरसिंह ने मेमोरेण्डम कथन में उक्त चोरी गये सामान स्टील के डिब्बे में उसकी स्वयं की बाड़ी में रखना बताया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी वीरसिंह ने बाड़ी से निकालकर देने पर एक लेडिस छल्ला, दो चांदी की बिछिया, एक चांदी का खोचना, एक जोड़ लौंग और कान के छाले जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श

पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी का आगे यह भी कथन है कि घटना के कुछ दिन बाद मुन्ना सोनी ने टाऊन हाल बैहर में उक्त जेवरात की पहचान करायी थी, जिसमें उसने उक्त जेवर को पहचान लिया था, पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 एवं 6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। साक्षी ने फरियादी के रूप में लिखायी गई रिपोर्ट, पुलिस कथन, मेमोरेण्डम कार्यवाही, जप्ती कार्यवाही एवं पहचान कार्यवाही के अनुरूप अपनी साक्ष्य पेश की है।

7— सूरजलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना दिनांक-23.10.2002 की है। उसके घर के तीसरे कमरे में स्टील के डिब्बे में सोने व चांदी के जेवरात रखे थे। दीपावली के समय की बात है। उस समय कमरे की सफाई आरोपीगण कर रहे थे। जब आरोपीगण सफाई कार्य करके चले गये थे, तब उसकी पत्नी को उक्त जेवरात का डिब्बा नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि सुबह डिब्बा कमरे में था। उक्त डिब्बे में सोने की चैन, दो सोने की अंगुठी, एक कालीपोत सोने की, सोने के कान के झाले, दो नाक की लौंग, दो जोड़ी बिछिया और चांदी का गुच्छा था। पता करने पर उन लोगों को पता नहीं चला कि किसने निकाला। आरोपीगण काम कर रहे थे, इसलिये शंका हुई थी कि आरोपीगण ने चोरी किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने किसी व्यक्ति को घर से चोरी करते हुये नहीं देखा था, वह अपनी पत्नि के बताये अनुसार उक्त चोरी वाली बात बता रहा है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपीगण के द्वारा फरियादी के घर में सफाई का कार्य करने और उनके जाने के बाद जेवरों की चोरी होने की जानकारी की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है।

8— बीरनबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना दिनांक-23.10.2002 की है। दीपावली के समय घर में आरोपीगण सफाई का कार्य कर रहे थे। तीसरे कमरे में एक संदूक के अंदर सोने की चैन, दो सोने की अंगुठी, एक सोने की कालीपोत, सोने के कान के झाले, दो सोने की नाक की लौंग, एक चांदी का गुच्छा रखा था, जो शाम को देखने पर नहीं मिला था। उसे आरोपीगण पर चोरी किये जाने की शंका है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को चोरी करते हुये नहीं देखा था और उसका सामान किसने चुराया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन का मामला भी इसी प्रकार है कि आरोपीगण को किसी ने चोरी करते हुये नहीं देखा। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी इस कथन की पुष्टि होती है कि घटना के समय आरोपीगण सफाई का कार्य कर रह थे और उनके जाने के बाद फरियादी के घर में जेवर चोरी होने की जानकारी प्राप्त

हुई थी।

9— सूरजलाल बिसेन (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को तथा प्रार्थी को जानता है। उसे प्रार्थी के घर चोरी होने की जानकारी है। पुलिस ने आरोपीगण को संदेह के आधार पर पकड़ा था। प्रदर्श पी-2 के मेमो पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो उसने हीरापुर में किया था। आरोपी वीरसिंह ने उसके सामने यह नहीं बताया था कि गजरसिंह के साथ पुताई करते समय प्रार्थी योगेन्द्र के कमरे से स्टील का डिब्बा का जेवरात उठाकर ले गये थे और गजरसिंह के साथ बांटे थे, उसके हिस्से के जेवरात स्टील डिब्बा में हैं। वीरसिंह ने कचरा फेंकने के स्थान से योगेन्द्र की बाड़ी से चांदी का सामान पैरपट्टी, चांदी का चाबी खोचना दिया था। सोने के कान झाले, अंगुठी, लौंग जप्त नहीं हुये थे। बिछिया जप्त हुआ था या नहीं, उसे याद नहीं है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 तथा पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। योगेन्द्र ने चांदी के जेवर पहचान लिया था, सोने के जेवर नहीं मिले थे। सोने का सामान नहीं मिला था और न ही पहचान कार्यवाही के समय सोने के जेवरत मौके पर थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है कि आरोपी वीरसिंह ने कचरा फेंकने के स्थान से योगेन्द्र की बाड़ी से चांदी का सामान पैरपट्टी, चांदी का खोचना दिया था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अभियोजन मामले का स्पष्ट रूप से समर्थन किया गया है कि आरोपी वीरसिंह के बताये अनुसार जप्तशुदा स्थान से चोरी के गहने की जप्ती की गई थी।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी अन्नीलाल सरयाम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-26.10.2002 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक-23.10.2002 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7, जिसका अपराध क्रमांक-162/2002, धारा-381/34 भा.द.वि. सहायक उपनिरीक्षक के.डी.जांगडे के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर लेख किया गया था, जिस पर सहायक उपनिरीक्षक के.डी.जांगडे के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण भली-भांति पहचानता है। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक-26.10.2002 को प्रार्थी की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक-26.10.2002 को आरोपी वीरसिंह को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ किया गया था, जिसमें आरोपी ने बताया कि उसने आरोपी गजरसिंह के साथ पुताई, सफाई कार्य करते समय योगेन्द्र के घर के बीच वाले कमरे से स्टील का डिब्बा जिसमें जेवरात रखे थे उठाकर लाये और आरोपी गजरसिंह के साथ बांट लिये थे, मेरे हिस्से के जेवरात घास के बीच में स्टील के डिब्बे में रखा हूँ, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ का प्रदर्श पी-2 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिस पर उसके तथा साक्षी एवं आरोपी वीरसिंह के भी हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा 13:30 बजे आरोपी वीरसिंह के द्वारा पेश करने पर साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-3 दर्शित अनुसार एक जोड़ कान के झाले सोने के, एक सोने की लेडिस अंगुठी, एक नग चांदी



का चाबी खोचना, दो जोड़ी बिछिया चांदी की, एक जोड़ी लौंग सोने की जप्त किया गया था, जिस पर उसके तथा साक्षियों एवं आरोपी वीरसिंह के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी सूरजलाल, बिरनबाई, योगेन्द्र, तारेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा जप्त सामग्री की विधिवत् शिनाख्ती कार्यवाही करायी गई थी। उसके द्वारा आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 एवं 6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा की गई मेमोरेण्डम कथन एवं जप्ती पंचनामा की महत्वपूर्ण कार्यवाही का समर्थन साक्षी योगेन्द्र (अ.सा.1) एवं सूरजलाल (अ.सा. 4) ने अपनी साक्ष्य में किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं लोप होने अथवा तात्त्विक त्रुटि कारित होने बाबत कोई चुनौती उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में नहीं दी गई है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से साक्षी के द्वारा मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को संदेह से परे प्रमाणित किया गया है, जिसका खण्डन न होने से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

12— फरियादी व अन्य साक्षी के द्वारा आरोपीगण को कथित चोरी करते हुये देखा नहीं गया है तथा अभियोजन मामले के अनुसार फरियादी योगेन्द्र ने आरोपीगण पर शंका के आधार पर उनके विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी है। इस प्रकार अभियोजन का मामला मेमोरेण्डम कार्यवाही एवं जप्ती कार्यवाही पर निर्भर है। अभियोजन की ओर से मेमोरेण्डम कार्यवाही प्रदर्श पी-2, जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-3 के अनुसार चोरी किया गया सामान आरोपी वीरसिंह के बताये अनुसार फरियादी के घर के पीछे से जप्त किया जाना प्रकट किया गया है। जप्ती अधिकारी अन्नीलाल सरयाम (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी वीरसिंह के मेमोरेण्डम कथन अनुसार जप्तशुदा स्थान फरियादी के घर के पीछे की बाड़ी से चोरी किये गये सामान की जप्ती किये जाने के कथन किये हैं, जिसका समर्थन मेमोरेण्डम एवं जप्ती के अन्य साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार प्रकरण में जप्ती अधिकारी के द्वारा तैयार मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही विधिवत् रूप से निष्पादित कर आरोपी वीरसिंह की जानकारी वाले स्थान से जप्ती किया जाना तथा पश्चात् में उक्त जप्तशुदा सामान को फरियादी योगेन्द्र कुमार के द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही में पहचानकर स्वयं के आधिपत्य के जेवर होना प्रकट किया गया है। इस प्रकार अभियोजन ने यह प्रमाणित किया है कि फरियादी योगेन्द्र कुमार के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना सोने व चांदी के जेवर चोरी हो गये थे।

13— प्रकरण में आरोपीगण को कथित चोरी किये जाने को चक्षुदर्शी साक्षी ने नहीं देखा है किन्तु आरोपीगण फरियादी के नियोजन में सेवक के रूप में कार्यरत् होते हुये सफाई का कार्य कर रहे थे तथा उसी दिन उनके जाने के पश्चात् फरियादी को जेवर होने की जानकारी हुई और तत्काल ही आरोपीगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट

फरियादी के द्वारा थाने में लिखायी गई है। उक्त परिस्थितिक साक्ष्य मामले में महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है। जहां साक्ष्य परिस्थितिक प्रकृति की है, वहां जिन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना है, वह बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए और ऐसे निश्चित तथ्य आरोपी को दोषिता की सम्भावनाओं के अनुरूप होने चाहिए। परिस्थितियां निश्चयात्मक प्रवृत्ति तथा प्रकृति की होनी चाहिए, जो कल्पना से परे हो। परिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी बिल्कुल पूर्ण होनी चाहिए जिससे कि आरोपी की निर्दोषिता को सिद्ध करने की कोई गुंजाइश न रहने पाए और यह ऐसी होनी चाहिए कि सभी मानवीय सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता हो कि कृत्य आरोपी के द्वारा ही किया गया था। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी वीरसिंह के विरुद्ध न केवल मेमोरेण्डम व जप्ती की प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश है, बल्कि परिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर भी आरोपी वीरसिंह के विरुद्ध उक्त अपराध कारित किये जाने की सम्पूर्ण सम्भावना है।

14— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-114 के अंतर्गत यह उपधारणा की जा सकती है कि चोरी के पश्चात् आरोपी वीरसिंह के बताये गये स्थान से अर्थात् उसके आधिपत्य में पाया गया सामान चोरी का था और उसने चोरी की थी। मामले में अनुसंधानकर्ता व जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही भी संदेह से परे प्रमाणित है। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन मामले में ऐसी संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की गई है जिनका आरोपी वीरसिंह को लाभ प्राप्त हो सके। जहां तक अन्य आरोपी गजरसिंह के विरुद्ध आरोपी वीरसिंह के साथ मिलकर कथित चोरी का अपराध कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में आरोपी गजरसिंह को मात्र इस आधार पर अभियोजित किया गया है कि आरोपी वीरसिंह के मेमोरेण्डम कथन में उसके द्वारा आरोपी गजरसिंह के साथ मिलकर कथित चोरी किया जाना और चोरी किया गया सामान गजरसिंह के साथ बांट लिया जाना प्रकट किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत मेमोरेण्डम के उक्त कथन आरोपी के विरुद्ध ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। यद्यपि सह आरोपी के विरुद्ध उक्त कथन ग्राह्य किये जाने की दशा में उक्त तथ्य के आधार पर ही आरोपी गजरसिंह के विरुद्ध अन्य साक्ष्य के अभाव में कथित चोरी किये जाने के अपराध हेतु उपधारणा नहीं की जा सकती है।

15— प्रकरण में आरोपी गजरसिंह के मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये गये और न ही उससे किसी सामान की जप्ती की गई है। ऐसी दशा में मात्र आरोपी वीरसिंह के मेमोरेण्डम कथन में प्रस्तुत किये गये तथ्य को कमजोर साक्ष्य होने से तथा अन्य सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में आरोपी गजरसिंह के विरुद्ध मामला संदेहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ आरोपी गजरसिंह को प्राप्त होता है। इस प्रकार आरोपी गजरसिंह के विरुद्ध अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

16— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी वीरसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में थाना बैहर अंतर्गत में

प्रार्थी योगेन्द्र पटले के सेवक (नौकर) की हैसियत से नियोजित होते हुए अपने मालिक योगेन्द्र के आधिपत्य से एक सोने की चैन, कान के झाले, एक कालीपोत, दो अंगुठी, चाबी केश चांदी की, चांदी की बिछिया व सोने की दो लौंग उसके घर से सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की। आरोपी गजरसिंह के विरुद्ध अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। फलस्वरूप आरोपी गजरसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-381/34 के अंतर्गत दोषमुक्त कर आरोपी वीरसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-381 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

17— आरोपी वीरसिंह को अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपी वीरसिंह को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर पश्चात् पेश हो।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

पश्चात्:—

18— आरोपी वीरसिंह व उसके अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसका यह प्रथम अपराध है और वह प्रकरण में वर्ष 2002 से विचारण का सामना कर रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

19— आरोपी वीरसिंह ने पूर्व सुनियोजित तरीके से फरियादी के आधिपत्य से बहुमूल्य जेवर की चोरी का अपराध कारित किया है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। आरोपी वीरसिंह के द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति एवं मामले की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यद्यपि आरोपी वीरसिंह के द्वारा लम्बे समय से विचारण का सामना किये जाने के तथ्य को देखते हुये दण्डावधि पर विचार किया जा सकता है। अतएव आरोपी वीरसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-381 के अंतर्गत 2 वर्ष (दो वर्ष) के कठोर कारावास एवं 500/- (पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम होने की दशा में आरोपी वीरसिंह को एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावे।

20— आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21— आरोपी वीरसिंह के द्वारा प्रकरण में दिनांक-27.10.2002 से दिनांक-08.11.2002 तक (13 दिन), दिनांक-29.11.2011 से दिनांक-26.02.2013 तक (1 साल 02 माह 28 दिन) कुल 1 वर्ष 3 माह 11 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, उक्त व्यतीत की गई न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को मूल कारावास की अवधि में से समायोजित की जावे। आरोपी गजरसिंह प्रकरण में दिनांक-27.10.2002 से दिनांक-08.

11.2002 तक (13 दिन), दिनांक-18.07.2005 से दिनांक-20.07.2005 कुल (03 दिन), दिनांक-19.09.2011 से 23.09.2011 तक (05 दिन), दिनांक-14.08.2014 से आज दिनांक-31.10.2014 तक (2 माह 18 दिन) कुल 3 माह 09 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। आरोपीगण द्वारा उक्त न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

21- प्रकरण में जप्तशुदा सामान एक जोड़ सोने के झाले, एक जोड़ सोने की लौंग, एक लेडिस अंगुठी सोने की, चाबी खोचना चांदी का, चांदी की दो बिछिया सुपुर्ददार योगेन्द्र कुमार पिता सूरजलाल पटले निवासी हीरापुर थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया। अतएव सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में माना जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)